मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– कस्तूरीबाई बेवा सूरजमल जाति खण्डेलवाल महाजन निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

1– मितेष पुत्र कृष्ण कुमार जाति खण्डेलवाल निवासी मोरपा तहसील दीगोद हाल म0 नं0 342 दादाबाड़ी कोटा राज0।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से –श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1 की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधिच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट
मिसल नं 102/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – प्रकरण में वादनी का वादाधिकार समाप्त हो जाने तथा वादिनी की मृत्यु के लगभग 8 माह से अधिक समय के बाद कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 03 तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 120 व 121 के प्रावधानानुसार वादिनी का वाद अबैट (उपशयम) हो जाने खारीज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 28.08.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश है। उभयपक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित। मृतक कस्तुरी बाई जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के संबंध में अभिभाषकगणों की बहस सुनी गयी। हमने बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.03.2025 के टिप्पणी कॉलम में वादिनी कस्तूरी बाई की दिनांक 05.01.2025 को मृत्यु होने की सूचना अंकित है। मृतक वादिनी कस्तुरी बाई के अभिभाषक द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र आज दिनांक 28.08.2025 को पेश किया।

इस संबंध में ज्ञातव्य है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 03 के अनुसार "यदि दावे में वादाधिकार (Right to sue) बकाया हो तो वादी के कायम मुकाम बनाये जा सकते हैं।" उक्तानुसार कायम मुकाम बनाये जाने के लिये परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद (धारा) 120 और 121 की पालना किया जाना आवश्यक व अनिवार्य है। इसमें धारा 120 के तहत मृत पक्षकार की मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के भीतर कानूनी प्रतिनिधियों को वारिस बनाये जाने का आवेदन पेश किया जाना चाहिये। यदि किसी कारण वश 90 दिनों के भीतर आवेदन पेश नहीं कर पायें तो धारा 121 के अनुसार इसके बाद 60 दिनों के भीतर दावे को अबेट (अपशमन) नहीं करने के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय में कायम मुकाम आवेदन पेश किया जाना चाहिये किन्तु वादिनी के अधिवक्ता द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 20.12.2024 को वादिनी कस्तुरी बाई एवं प्रतिवादी नं.-1 मितेश खण्डेलवाल एवम् श्री खण्डेलवाल के मध्य आपसी सहमति से विवादित राजीनामा का मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेडिंग एवम् सहमति पत्र उपलब्ध है जिससे स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान के मध्य सहमति से राजीनामा हो जाने से प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी का अब कोई वादाधिकार शेष नहीं रहा है तथा राजीनामा उपरान्त वादिनी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान को उक्त राजीनामा पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण में वादिनी का वादाधिकार समाप्त हो जाने तथा वादिनी की मृत्यु उपरान्त उसके अभिभावक द्वारा वादिनी की मृत्यु के लगभग 8 माह से अधिक समय के बाद कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 120 व 121 के प्रावधानानुसार वाद वादिनी का वाद अबेट (उपशमन) हो जाने से खारीज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली वाद अबेट होने पर खारीज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहाय[illegible] दीगोद, [illegible]